अंचल अधिकारी का कार्यालय, सिल्ली (राँची)।

संदिग्ध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० 118/20-21

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	कार्रवाई
01/12/21	अभिलेख उपस्थापित। उपायुक्त, राँची द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या 1764/रा., दिनांक 15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निष्पादन करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 08/12/21 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, सिल्ली।	
08/12/21	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में केवाला, दाखिल खारिज, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित बन्दोबस्ती पर्चा, हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद, फॉर्म एम., लगान रसीद, दिनांक 01.01.1946 के पूर्व का निबंधित दस्तावेज एवं अन्य दावा साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित किया गया/नहीं किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुए अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें। अभिलेख दिनांक 07/01/22 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, सिल्ली।	
07/01/22	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक 1764/रा., दिनांक 15.07.2020 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमाबंदी नियमितीकरण/रद्द करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा [illegible] थाना सं० 137 साबिक खाता सं० 118 साबिक प्लॉट सं० .... रकबा .... जिसका हाल खाता सं० .... हाल प्लॉट सं० .... रकबा .... गत सर्वे खतियान एवं हाल सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद (अनाबाद बिहार सरकार/झारखण्ड सरकार) खाते की भूमि है।	

ऑफलाईन पंजी–II के प्राधिकार कॉलम में किसी भी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नही है। जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा दिनांक–01.01.1946 के पूर्व का कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नही किया गया। जमाबंदी रैयत/वंशज का उक्त भूमि पर वर्ष 1985 के पूर्व से दखलकार नही है। उक्त जमाबंदी को नियमितीकरण नही की जा सकती है। इस संबंध में तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व में उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। पुनः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध जमाबंदीदार गुरु लाल मांझी वगै० के नाम से पंजी–II में कायम जमाबंदी संख्या 901 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–**4(h)** के तहत् पंजी–II में कायम जमाबंदी संख्या 901 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद के माध्यम से अपर समाहर्त्ता, धनबाद को भेजें।

अंचल अधिकारी,
निरसा।

Digitally signed by RAMESH RAVIDAS
Date: 2025.05.20 11:06:32 +05:30
Location: 192.168.1.12